यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, परियोजना खंड, सिंचाई विभाग, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधारपर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय,प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादूनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, परियोजना खंड, सिंचाई विभाग, देहरादून**के माह 08/2019 से 10/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री जोगिंदर सिंह,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ),श्री ललित मोहन सिंह बिष्ट,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रदीप कुमार मौर्या,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीद्वारा दिनांक11.11.2020 से 25.11.2020 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री शरद चौधरी,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ), श्री भारत सिंह,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 08.08.2019 से 22.08.2019 तक श्री रणवीरसिंह, वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिकपर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमे माह 09/2017से 07/2019तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी थी।

इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रःइकाई द्वारा उत्तराखंड राज्य में विभिन्न विभागों के भवन सम्बंधित निर्माण कार्यो का संपादन किया जाता है।

(i) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

(धनराशि रुपये लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत (-)
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2018-19	-	9676.17	-	-	1092.07	1341.86	-	9426.39
2019-20	-	9426.39	-	-	746.17	934.92	-	9237.64
2020-21(माह 10/2020) तक)	-	9237.64	-	-	369.45	506.66	--	9100.43

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है

(रुपयेलाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत
शून्य					

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई "अ"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून
3. मुख्य अभियंता,देहरादून
4. अधीक्षण अभियंता,परियोजनामण्डल,देहरादून
5. अधिशासी अभियंता,परियोजना खंड,देहरादून

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, परियोजना खंड, सिंचाई विभाग, देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदनअधिशासी अभियंता, परियोजना खंड, सिंचाई विभाग, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माहजनवरी2020को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II'ब'

प्रस्तर 1:- पुल निर्माण कार्य के अंतर्गत `39.64 लाखकी लागत के ऐप्रोच रोडकी स्वीकृत तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप न होना एवं उक्त के दोषपूर्ण आगणन के कारण `7.37लाख की परिहार्य लागत बृद्धि।

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 (सिडकुल) द्वारा अपने हरिद्वार स्थित एकीकृत औद्योगिक संस्थान (IIE) के लिए रावली रो (बरसाती नदी) के ऊपर 60 मी0 स्पान के पुल निर्माण कार्य को परियोजना खण्ड, सिंचाई विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून (निर्माण ऐजेंसी) को सौंपा गया था। निर्माण ऐजेंसी द्वारा उक्त कार्य हेतु `766.47 लाख की लागत का आगणन स्वीकृत कर (*पार्श्व में दिये गए विवरण के अनुसार*) ग्राहक विभाग (सिडकुल)से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त (10/2019)की गई थीऔर तदनुसार कार्य को निष्पादन हेतु हाल ही में (10/2020) एक ठेकेदार को आवंटित किया जा चुका है।

Sl. No	Particulars	Amount (`in lakh)
1-	Cost of bridge work as per BoQ	411.89
2-	Cost of Approach roads as per BoQ	39.64
3-	Fabrication of Steel work	7.17
4-	**Sub-total**	**458.70**
5-	Add 15% over SoR (MoRTH Rate)	68.80
6-	Flood Protection works	90.65
7-	**Total cost of work**	**618.15**
8-	Add 8% Centage Charges on Item-7	49.45
9-	Add 12% GST on Item No.-7	74.18
10	Add 3% Contingency	18.54
11	Add 1% for Quality Control	6.18
	Grand Total	**766.47**

कार्यालय अधिशासी अभियंता, परियोजना खण्ड, सिंचाई विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून के अभिलेखों के अवलोकन (नवम्बर 2020) में पाया गया था कि कार्य के स्वीकृत आगणन (`766.47 लाख)के अंतर्गत पुल के 200 मी0 ऐप्रोच रोड के निर्माण(लागत `39.64 लाख)की स्वीकृति निमन्वत तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप नहीं थी:

- ऐप्रोच रोड निर्माण हेतु 565mm मोटाई का फ्लेक्सिबल पेवमेंट (FlexiblePavement) बिना किसी आधारभूत आकड़ों के प्रावधानित किया गया था जबकि भारतीय रोड कांग्रेस (IRC) की तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार सड़क निर्माण के लिए सतह की मोटाई का निर्धारण, मार्ग की मिट्टी की भार वहन क्षमता अर्थात सी बी.आर. (California Bearing Ratio) एवं मार्ग पर यातायात घनत्व (TrafficCensus) के आधार पर किया जाता हैं।
- उक्त फ्लेक्सिबल पेवमेंट (FlexiblePavement) हेतु 40mmSDBC (Semi Dense Bituminous Concrete) का प्रावधान अनुमोदित किया गया था जबकि MORTH (Ministry of Road Transport and Highways) द्वारा SDBC के प्रयोग के प्रावधान वर्ष 2013 से समाप्त कर दिये गए है और उक्त के संधर्भ में आवश्यक दिशानिर्देश उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग द्वारा जून 2014 जारी कर दिये गए थे।
- इसके अतिरिक्त, निर्माण ऐजेंसी द्वाराउत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के परिपत्र स0-1317/15 दिनांक 10-09-2017 के आधार पर पुल निर्माण कार्य के कारण 15 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रभार `68.80 लाख भारित किए गए थे। लेखा परीक्षा जांच में पाया गया था कि ये 15 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रभार पुल की ऐप्रोच रोड कार्यमद (लागत `39.64 लाख) पर भी जोड़े गए जबकि इन्हें केवल पुल की कार्यमदों (Cost of Bridge & Fabrication of Steelwork) पर भारित किया जाना चाहिए था। इसप्रकार,अनुचित आगणन के कारण ऐप्रोच रोड की लागत में `5.946 लाख एवं उस पर देय 24 प्रतिशत के अन्य प्रभार (Overhead Charges: Centage- 8%, GST-12%, Contingency-3%& Quality Control-1%) के रूप में कुल `7.37 लाख की लागत बृद्धि हुई, जो पूर्णतया परिहार्य थी।

लेखा परीक्षा की इन आप्पतियों पर इकाई द्वारा उत्तर किया गया था किउक्त प्रस्तावित पुल का निर्माण नए क्षेत्र के विकास के लिए किया जा रहा है जहां पर वर्तमान में कोई आवागमन नहीं है इसलिए यातायात गणना नहीं की गई जबकि मार्ग डिज़ाइन हेतु CBRValue-8 ली गई है। पुल के दूसरी ओर पूर्व निर्मित मार्ग SDBC होने के कारण ऐप्रोच रोड हेतु भी SDBC ली गई है जो पुल का ही भाग है इसलिए इस कार्यमद हेतु भी 15 प्रतिशत की अतिरिक्त लागत ली गई है। हालांकि, इकाई के ये उत्तर लेखा परीक्षा द्वारा उपरोकतानुसार उल्लेखित तथ्यों के आलोक में स्वीकार योग्य नहीं थे। यह भी कि मार्ग कि सतह की मोटाई के निर्धारण हेतु यातायात गनत्व के आकड़ों के अभाव में अकेले CBRValue (*साक्ष्य अप्रस्तुत*) का कोई महत्व नहीं होता है इसलिए उक्त परियोजन हेतु सिडकुल क्षेत्र के यातायात आकड़ों को गणना हेतु लिया जाना चाहिए था।

अत: कार्य के अधीन `39.64 लाख की लागत के ऐप्रोच रोडकी स्वीकृत,तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूपन होने एवं कार्य पर दोषपूर्ण आगणन के कारण हुई`7.37 लाख की परिहार्य लागत वृद्धि के ये प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रकाश में लाये जाते है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 2:- अनियमित एवं परिहार्य भुगतान `13.81 लाख।

As per Government of IndiaNotification No. 12/2017- Central Tax (Rate), New Delhi; dated 28th June, 2017 "The services provided by one department of the Central Government/State Government/Union territory or local authority to another department of the Central Government/State Government, Union territory or local authority are exempted from GST"

कार्यालय अधिशासी अभियंता, परियोजना खंड, सिंचाई विभाग, देहरादून के अभिलेखो की लेखा परीक्षा (नवम्बर 2020) में पाया कि खंड द्वारा जनपद देहरादून में सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु प्रारम्भिक स्तर पर किए जाने से संबन्धित 5 कार्य(DPR revision,lab tesing& field investigation work and repair of store) कराएँ जा रहे थे। लेखा परीक्षाद्वारा 02 परीक्षणकार्यों [*सौंग बांध हेतु नदी के दोनों ओर मध्य ऊंचाई पर नव निर्मित इफ़्टों में C-Ø एवं प्लेट लोड परीक्षण का कार्य (लागत `97.27 लाख[1]) और CSRMS द्वारा पदार्थ परीक्षण का कार्य (लागत `22.62 लाख[2])*]से संबंधित DPRकी जांच में पाया कि उक्त परीक्षण कार्य पूर्व में सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा किया गया था, उच्च अधिकारियों के दिशा-निर्देशों के क्रम में उक्त परीक्षण पुनः भारत सरकार के अधीन Central Soil and Material Research Station (CSMRS),New Delhi द्वारा कराया जाना प्रस्तावित किया गया। परीक्षण हेतु विभाग के अनुरोध (03/2019 & 02/2019) के सापेक्ष CSMRSद्वारा परीक्षण हेतु पृथक-पृथक कुल `9050362.00 (`3768987+ `1027180+`2036993 + `2217202) का Estimate/Interim billप्रस्तुत किया गया। लेखा परीक्षा द्वारा Estimate/Interim billकी जांच में पाया कि CSMRSद्वारा Estimate/Interim billके अंतर्गत 18% GST [`1380563.00 = (`574930 + `156688 + `310728

1

S. N.	Items of work	Amount (`)
A.	C-Ø and plate load test by Central Soil and Material Research Station (CSMRS) **i.** Field investigation of rock mass (in-situ shear and plate load test) -`3768987.00 **ii.** Laboratory investigation of rock (One rock type)-`1027180.00	4796167.00
B.	Laboratory investigation of rock by CSMRS. (Two rock variant)	2036993.00
C.	Civil Work	2809649.00
D.	Contingency (@3% on `2440544.00)	84289.47
Grand Total		**9727098.47**

2

S. N.	Items of work	Amount(`)
A	Estimate for field visit for collection of construction material (Coarse and fine aggregates, cement and fly ash) and carrying out laboratory investigation in CSMRS laboratory.	2217202.00
B	Contingency (@2%)	44344.00
Grand Total		**2261546.00**

+ `338217)] का भी प्रावधान भी शामिल किया गया था। खंड द्वारा उक्त प्रावधानित GSTका भुगतान (`13.81 lakh)भी किया गया है जबकि भारत सरकार के Notification No. 12/2017- Central Tax (Rate), New Delhi, the 28th June, 2017 के अनुसार राज्य सरकार के शासकीय विभाग GST से exemptहै। अतः GSTAct के प्रावधानों/अधिसूचना के विरुद्ध GSTका भुगतान किए जाना अनियमित एवं परिहार्य था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया कि विभाग को उक्त प्रावधानों का संज्ञान नहीं था,CSMRS द्वारा Estimate/Interim billमें GSTसम्मिलित किए जाने के कारण भुगतान किया गया।

अतः GSTAct के प्रावधानों/अधिसूचना के विरुद्ध GSTका अनियमित एवं परिहार्य भुगतान (`13.81 lakh) किए जाने का प्रकारण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो'ब'

प्रस्तर3:- राज्य संपति विभागकेनिक्षेप कार्यों के असमायोजित व्याधिक्य, `70.11 लाख

वित्तीय हस्त-पुस्तिका (खंड-6) के प्रस्तर-580, 585, 633 व 634 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक खंडीय कार्यालय द्वारा किसी अन्य पक्ष/विभाग के लिए निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का मासिक लेखे फार्म-65 (Schedule of Deposit Works) एवं फार्म-67(Suspense Register) में रखे जाते है और ऐसे कार्यों पर किए जाने वाले व्यय को ग्राहक विभाग से प्राप्त निक्षेप की राशि तक सीमित रखा जाता है। कार्य पर निक्षेप की सीमा से अधिक हुए व्यय को "Miscellaneous P.W. advances"के तहत लम्बित वसूली के रूप वर्गीकृत कर तत्काल वसूली की कार्यवाही आरम्भ की जानी होती है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, परियोजना खण्ड, सिंचाई विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून के मासिक लेखों (10/2020) के अवलोकन से ज्ञात हुआ था कि उत्तराखंड विधान सभा भवन एवं तटसंबंधी अन्य निक्षेप कार्यमदों (राज्य संपति विभाग, उत्तराखंड) की स्थिति निमन्वत है:

क्र. स.	कार्यमदें	निक्षेप जमा (`)	अद्यतन व्यय (`)	व्याधिक्य (`)
1-	Special Repair of Residential/Non-res. Buildings Yamuna Colony &V.Sabha	83,87,000	1,22,59,448	38,72,448
2-	Annual Repair of Residential/Non-res. Buildings Yamuna Colony & V. Sabha	18,80,000	36,40,551	17,60,551
3-	Vidhan Sabha- Civil Maintenance	14,64,000	16,05,050	1,41,050
4-	Vidhan Sabha- Toilet Maintenance	1,98,000	2,22,435	24,435
5-	Vidhan Sabha- Gate	16,46,000	28,58,966	12,12,966
योग		**1,35,75,000**	**2,05,86,450**	**70,11,450**

इस प्रकार, लेखा परीक्षा में पाया गया था कि कार्यालय द्वारा इन निक्षेप कार्यमदों के अंतर्गत वित्तीय प्रावधानों के वीरुध `70.11 लाख व्याधिक्य किया गया, जिसके सापेक्ष, न तो वसूली की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही थी और न ही उक्त को खंडीय लेखों में "Miscellaneous P.W. advances"के रूप में वर्गीकृत कर दर्शाया जा रहा था।

प्रकरण को लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों को स्वीकारते हुए उत्तर दिया गया था कि विगत वर्षों के दौरान इस खंड के अधीन कुछ खण्डों का विलय हुआ था जिनकी निक्षेप मदों में पर्याप्त अवशेष न मिलने के कारण एवं इन कार्यमदों के प्रारम्भिक अवशेष में उचित प्रविष्टियाँ न होने के कारण माह मार्च 2017 से उक्त भिन्नता चली आ रही है, जिनके निराकरण की कार्यवाही गतिमान है। उत्तर संतोषजंक नहीं था क्योंकि एक तो इतनी लम्बी अवधि से लेखों की विसंगतियों को सही न कर पाना उदासिनता का द्योतक है वहीं तालिका के क्रम संख्या-3 से 5 के संव्यवहार (Transactions) हाल के वर्षों से संबन्धित थे जिनके नियमानुसार समायोजन का पूर्ण उत्तरदायित्व वर्तमान खंडीय प्राधिकारियों का था।

अतः राज्य संपति विभाग से संबन्धित निक्षेप कार्यों से संबन्धित असमायोजित व्याधिक्य `70.11 लाख का यह प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- दो'ब'

प्रस्तर 4:- `62.70 लाख के ठेकों का अनियमित आवंटन।

वित्तीय हस्त-पुस्तिका (खंड-6) का प्रस्तर-368 प्रावधानित करता है कि कोई भी प्राधिकारी शासन द्वारा राज्यपाल की ओर से समय समय पर निर्धारित वित्तीय सीमाओं तक के अनुबंध स्वीकार करने के लिए अधिकृत होगा। जबकि प्रस्तर-369 के प्रावधान व्यवस्था प्रदान करते है कि यह मंशा नहीं है कि किसी प्राधिकारी को एक कार्य के संबंध में ठेकेदार विशेष को एक से अधिक ठेकों के आवंटन से रोका जाय परन्तु एक ठेकेदार को उसी कार्य का दूसरा ठेका उस दशा में आवंटित नहीं किया जा सकता है जब उसका पहला अनुबंध/ठेका चलायमान (while the first is still in force)और ठेकों की समग्र लागत अनुबंध स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के वित्तीय सीमा से अधिक हो जाय। आगे प्रस्तर-370के अन्तर्गत यह भी व्यवस्था है कि प्रस्तर-368 व 369 के नियमों में शिथिलता केवल शासन द्वारा विशेष परिस्थितियों में प्रदान की जा सकती है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, परियोजना खण्ड, सिंचाई विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून के वर्ष 2019-20 के दौरान आवंटित ठेकों की लेखा परीक्षा जांच (11/2020) में पाया गया था कि कार्यालय के सहायक अभियंता-तृतीय के स्तर से एक ठेकेदार को `14.94 लाख के दो ठेके एवं दूसरे ठेकेदार को `33.99 लाख की लागत के सात ठेके इस तथ्य के वावजूद आवंटित किए गए थे कि उत्तराखंड शासन द्वारा जारी वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन (Delegation of Financial Powers)-2018के अंतर्गत उक्त प्राधिकारी की वित्तीय सीमा `10 लाख है और ये ठेके एक ही कार्य एवं समान अवधि से संबन्धित संबन्धित थे। इसीप्रकार, कार्यालय के सहायक अभियंता-चतुर्थ के स्तर से एक अन्य कार्य के `13.78 लाख तीन ठेकों को एक ही ठेकेदार को समान अवधि हेतु आवंटित किया गया था।

इसप्रकार लेखा परीक्षा में पाया गया था कि इन दो प्राधिकारियों द्वारा उपरोक्त वर्णित वित्तीय हस्त-पुस्तिका (खंड-6) के प्रस्तर-368 से 370 के प्रावधानों के विरुद्ध एवं अपनी वित्तीय सीमाओं के अतिक्रमण के माध्यम से `62.70 लाख के 13 अनियमित ठेके आवंटित (विस्तृत विवरण **संलग्नक-I** के अनुसार) किए गए थे।

प्रकरण को लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया था कि कार्यों को शीघ्र निष्पादित कराये जाने के उद्देश्य से इन ठेकों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति/स्वीकृति के उपरान्त आवंटित किया गया था। उत्तर स्वीकारयोग्य नहीं था क्योंकि संधर्वित वित्तीय नियम-368 व 369 के प्रावधानों में छूट हेतु सक्षम प्राधिकार केवल शासन के पास संरक्षित है जिसकी स्वीकृति इन प्रकरणों में प्राप्त नहीं की गई थी।

अतः `62.70 लाख के अनियमित ठेकों के आवंटन का यह प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु प्रकाश में लाया जाता है।

संलग्नक-I

13 ठेकों (`62.70 लाख)के अनियमित आवंटन का विवरण

Sub-division office	Name of work	Name of contractor	Agreement No.	Cost of Agreement (`)	Date of start	Date of completion
AE-III	Steel Gate Manufacturing as per given drawing & photograph (entry gate)	M/s Saptech Metal Craft & Storage	08/AE-3/2019-20	8,45,495	12-07-2019	11-09-2019
			09/AE-3/2019-20	6,48,788	15-07-2019	14-09-2019
	Total			**14,94,283**		
AE-III	Making painting of Murals in 3D Impression with decorative frame at Vidhan Sabha, Dehradun	Sh. Vivek Bhandari	10/AE-3/2019-20	4,83,633	12-12-2019	11-03-2020
			11/AE-3/2019-20	4,88,035	12-12-2019	11-03-2020
			13/AE-3/2019-20	4,82,325	15-01-2020	14-04-2020
			14/AE-3/2019-20	4,83,308	10-02-2020	09-05-2020
			15/AE-3/2019-20	4,84,287	11-02-2020	10-05-2020
			20/AE-3/2019-20	4,86,412	10-02-2020	09-03-2020
			21/AE-3/2019-20	4,90,960	11-02-2020	10-03-2020
	Total			**33,98,960**		
AE-IV	Repair work of State Data Centre at Directorate of Treasury, D.Dun	Sh. Arvind Kumar	02/AE-4/ 2019-20	4,84,539	05-11-2019	04-12-2019
			03/AE-4/ 2019-20	4,95,904	05-11-2019	04-12-2019
			04/AE-4/ 2019-20	3,97,158	05-11-2019	04-12-2019
Total				**13,77,601**		

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
70/2004-05	01	02 एवं03	--
42/2007-08	--	01	--
02/2009-10	--	01,02 एवं03	--
41/2010-11	--	01,02 एवं03	--
19/2014-15	--	01, 03एवं04	--
37/2017-18	--	01,02 एवं03	01एवं02
41/2019-20	01 एवं02	01,02 एवं03	--

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
विगतनिरीक्षणप्रतिवेदनोंकेअनिस्तारितप्रस्तरोंकीअनुपालनआख्याकेसंबंधमेंखंडनेउत्तरमेंबतायाकिसंबन्धितप्रस्तरोंकीअनुपालनआख्याउच्च अधिकारी द्वारा संस्तुति प्राप्त कर प्रेषित कर दी जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--शून्य–

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, परियोजना खंड, सिंचाई विभाग, देहरादून**तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-**

क्र. सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01	श्री हर्ष कुमार कटियार	अधिशासी अभियंता	23.08.2014सेवर्तमान तक

लघुएवंप्रक्रियात्मकअनियमितताएंजिनकासमाधानलेखापरीक्षास्थलपरनहींहोसकाउन्हेंनमूनालेखापरीक्षाटिप्पणीमेंसम्मिलितकरएकप्रति कार्यालय**अधिशासी अभियंता, परियोजना खंड, सिंचाई विभाग, देहरादून**कोइसआशयसेप्रेषितकरदीजायेगीकिअनुपालनआख्यापत्रप्राप्तिकेएकमाहकेअन्दरसीधेउप-महालेखाकार/ए॰एम॰जी॰-I, कार्यालयप्रधानमहालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकारभवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195कोप्रेषितकरदीजाए।

वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी
ए॰एम॰जी॰ - I